

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री समुदर खां

किस्म मुकदमा -53,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री अमीर खां

पत्रावली संख्या : 151/24

जीसीएमएस : 2024/350

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|---|--|
| | <p>दिनांक : 24.12.2024</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> | |

